

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] No. 497] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2005/वैशाख 29, 1927 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2005/VAISAKHA 29, 1927

पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2005

का.आ. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 11क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
''11क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10, सं. 21ए, सं. 22, सं. 64, सं. 65, सं. 71, सं. 71बी, सं. 72 और सं. 73 के हरियाणा राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71ए	हरियाणा राज्य सरकार।''

[फा. सं. एन एच-14012/22/2004-पी एंड एम (पार्ट)] आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.नि.आ.1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन सं. का.आ. 464 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2005

S.O. 682 (E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 11A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
*11A. **********************************	So much of National Highways No. 10, No. 21A, No. 22, No. 64, No. 65, No. 71, No. 71B, No. 72 and No. 73 as are situated within the State of Haryana and National Highway No. 71A.	State Govt. of Haryana."

[F. No. NH/14012/22/2004-P & M(pt)]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended vide S.O. 464 (E) dated 26th April, 2002.